(16)

संख्या : 777/IV(2)–श0वि0–11–29(जेएनएनयूआरएम)/08

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 24 जून, 2011

विषयः विभिन्न सर्वे हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1755/IV(1)–2010–29(जेएनएनयूआरएम)/2008 दिनांक 15–10–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Urban Statistics for HR and Assessment (USHA) scheme के अन्तर्गत विभिन्न पत्रों के माध्यम से कुल प्राप्त धनराशि ₹ 20,85,090/– को आपको अवमुक्त किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में उक्त योजना हेतु काशीपुर, ऋषिकेश एवं रूद्रपुर नगर निकायों हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 30–9–2010 एवं पत्र दिनांक 11–3–2011 द्वारा क्रमशः ₹ 6.00 लाख एवं ₹ 64,355/– स्वीकृत किये गये है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से कुल अवमुक्त **₹ 6,64,355/– (₹ छः लाख चौसठ हजार तीन सौ पचपन मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 11–3–2011 एवं 30–9–2010 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उक्त प्रयोजन पर ही व्यय की जायेगी।
3. शासनादेश संख्या 1755/IV(1)–2010–29(जेएनएनयूआरएम)/2008, दिनांक 15–10–2010 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त दिशा निर्देश के अनुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसके अवमुक्त होने के 4 माह के अन्दर उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
4. उक्त धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
5. उक्त धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 खाते में जमा किया जायेगा।

6. कार्यो की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर शासन को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
7. कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय **वित्तीय वर्ष 2011–12** के आय–व्ययक के **अनुदान संख्या–13**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–06–बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स योजना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–106/XXVII(2)/2011, दिनांक 13 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या :777/IV(2)–श0वि0–11–29(जेएनएनयूआरएम)/08,तद्दिनांक। 24-6-11

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेषक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

Survey.doc